



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1181/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्रीमती माधुरी देवी 716] महावीर नगर] टोंक रोड] जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 28-03-2018

1. अपीलार्थी की ओर से उनके पति श्री चन्द्रभान गुप्ता उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री सुनील कुमार शर्मा, एपीसी उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-04-2017 के द्वारा दिनांक 13-07-1983 से 30-06-2011 तक सहायता प्राप्त संस्था प्रेम शांति पब्लिक स्कूल, जयपुर में अध्यापिका के पद पर कार्य दौरान प्राप्त वेतन, मंहगाई भत्ता, कटौति, एरियर व उपार्जित अवकाश के संबंध में 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के पति ने बताया कि श्रीमती माधुरी देवी सहायता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत थी। उस दौरान उनके वेतन, कटौति एरियर व अवकाश की सूचना चाही गई है जो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना का अभिलेख संबंधित विद्यालय में ही होता है संबंधित विद्यालय जो लोक प्राधिकरण नहीं है, को पत्र दिनांक 26-05-2017 से सूचना उपलब्ध कराने को लिखा गया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। संबंधित विद्यालय ने रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया है जिसके अभाव में सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। वांछित सूचना का अभिलेख प्रत्यर्थी के कार्यालय में नहीं है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 26-05-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों का रिकार्ड प्रत्यर्थी कार्यालय में रहता है प्रत्यर्थी कार्यालय सूचना उपलब्ध नहीं कराना चाहता है। प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना के अधिकतम 25 पृष्ठ तक निःशुल्क एवं इससे अधिक पृष्ठों के लिए नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।
8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त